संख्या-116/2022/I/213100/2022/001-71-2002-20-2019

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 सितंबर, 2022

विषय:- एस०जी०पी०जी०आइ० लखनऊ में रिसर्च स्टूडेंट हास्टल 100 नग के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-83/2013/327 /2022, दिनांक 18-08-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर के अंतर्गत रिसर्च सटूडेन्ट हास्टल 100 नग के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि रू0 1,21,95,501.00 की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान परिसर के अंतर्गत रिसर्च स्टूडेन्ट हास्टल (100 नग फ्लैटस) के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-13/2020/192/71-2-29-पी0-34/2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 द्वारा रू0 2581.75 लाख+ (जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से धनराशि रू0 2452.67 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान परिसर में रिसर्च सटूडेन्ट हास्टल 100 नग के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1,21,95,501.00 लाख (रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख पंचानबे हजार पॉच सौ एक मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधो के अधीन प्रदान करते हैं-:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस- 2022-231 / 2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
3. प्रश्नगत प्रायोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि व कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराया जाए। कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. संस्थान के वित्त नियन्त्रक द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गयी धनराशि से संबंधित चालानों तथा आंकड़ो का पुनः मिलान कर लिया जायेगा।
5. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
6. निदेशक/वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त् नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,21,95,501 (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख पंचानबे हजार पांच सौ एक मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-116/2022/I/213100/2022/001-71-2002-20-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।